

I 14447

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 57,77,129.00 रुपये।

स्टाम्प : 4,04,500.00 रुपये। CHALLAN No
M.171505/24-XI-2020मैं कि राजपाल पुत्र श्री सरपत उर्फ सम्पत निवासी ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना
दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

एवम

मैसर्स उप्पल चद्रा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस
कालोनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्युनिटी
सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

राजपाल



For Uppl Ch : Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory



बैनामा S7, 77 129.00.
निबन्धन शुल्क --10.000/-रुपये उजरत 20/-रुपये
योग--10.020/-रुपये शब्द लगभग 600

श्री/श्रीमती राजपाल पेशा लेखी
पुत्र/पत्नी अरुण उर्फ सम्पत
निवासी- ग्राम चण्डौरी वासनावाडी तहसीली.

ने कार्यालय सबरजिस्टार दादरी जिला गौबुद्धनगर
मे आज दिनांक 24-12-2010 को समय 4 व 5 के
मध्य प्रस्तुत किया है।

राजपाल

सबरजिस्टार दादरी
24-12-2010

इस लेखपत्र का सम्पादन एवं इसमे लिखित जरे
बदल मुद्दा 2, 77, 129 प्रलेखानुसार पाकर उक्त
श्री राजपाल उर्फ सम्पत

प्रथमपक्ष ने स्वीकार किया व तकमील से श्री दीपक
पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक निवासी-33 कम्युनिटी
सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा मैसर्स उप्पल
चट्टा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 द्वितीय पक्ष ने भी
स्वीकार किया।



विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं० 288 के खसरा नं० 819 रकबा 1.6820 हेक्टे० में से 0.3020 हे० व खाता संख्या 106 के खसरा सं० 620 रकबा 0.6040 हे० का 1/6 भाग अर्थात् रकबा 0.100666 हे० इस प्रकार कुल रकबा 0.402666 हे० प्रथम पक्ष गालिक है। अनुसार खतौनी 1409-1414 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बेनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/- प्रति हेक्टेयर की दर से अंकन 57,77,129/- रुपये (सत्तावन लाख सत्तेतर हजार एक सौ उनतीस रुपये मात्र) में तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

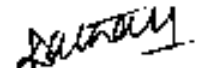
(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

राजपाल



For Upp: Chandra Ni Tech Developers Pvt. Ltd.


Authorized Signatory



जिनकी पहचान श्री राजू ठाकुर पेशा व्यापार

पुत्र श्री रावीर सिंह

निवासी- श्री कचरी बरसावाप तह ठाकुर

व श्री कर्मल पेशा व्यापार

पुत्र श्री राधु ठाकुर

निवासी- 327

ने की

सबरजिस्टार दादरी

24-12-2010

राजपाल



40th

अ. 3-1 नियमानुसार लिखे गये हैं
अ. 3-1 भले प्रतीत होते हैं कि

अ. 3-1 नियमानुसार लिखे गये हैं

अमित

(3)

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड़, रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ढ्युज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मित्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त भूमि खाता नं० 268 के खसरा नं० 619 रकबा 1.6820 हैक्टे० में से 0.3020 है० व खाता संख्या 106 के खसरा सं० 620 रकबा 0.8040 है० का 1/6 भाग अर्थात् रकबा 0.100666 है० इस प्रकार कुल रकबा 0.402666 है० स्थित ग्राम कयैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेंता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाय के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वरथ इन्दियों की दशा में अपने पारिवारिक समैति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-स्वारिजी, काश्त मराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त

रजिपाल

For Upendra Chandra Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

Signature
Authorized Signature



(4)

थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन 57,77,129/- रुपये (सत्तावन लाख सत्तेतर हजार एक सौ उनतीस रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 28,88,564.50/- (अठाईस लाख अठासी हजार पांच सौ चौसठ रुपये पचास पैसे मात्र) होते हैं के एवज में बहाथ फरीक दोथम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उम्पल चददा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बंध कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात में वज्रिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते हैं, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

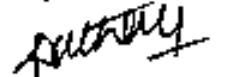
(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कमी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे

राजपाल



For Upool Choudha Hi Tech Developers Pvt. Ltd.


Authorised Signatory





(5)

जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उराके स्थापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जों से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जें खर्चें प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.402666 हैक्टेयर, खाता नं० 268 के खसरा नं० 619मि० व खाता सं० 106 के खसरा सं० 820 स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

राजपाल



For Uppal Chaudhary Ji Toshi Development Pvt. Ltd.

Uppal Chaudhary





(6)

(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि० गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का चैक नंबर 367853 अंकन 55,77,129/- (पचपन लाख सत्तेतर हजार एक सौ चन्तीस रुपये मात्र) तथा अंकन 2,00,000/- रु० नगद दिनांकित 24.12.10 फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

For Uppal Chandra Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

राजपाल


For Uppal Chandra Hi Tech Developers Pvt. Ltd.

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)



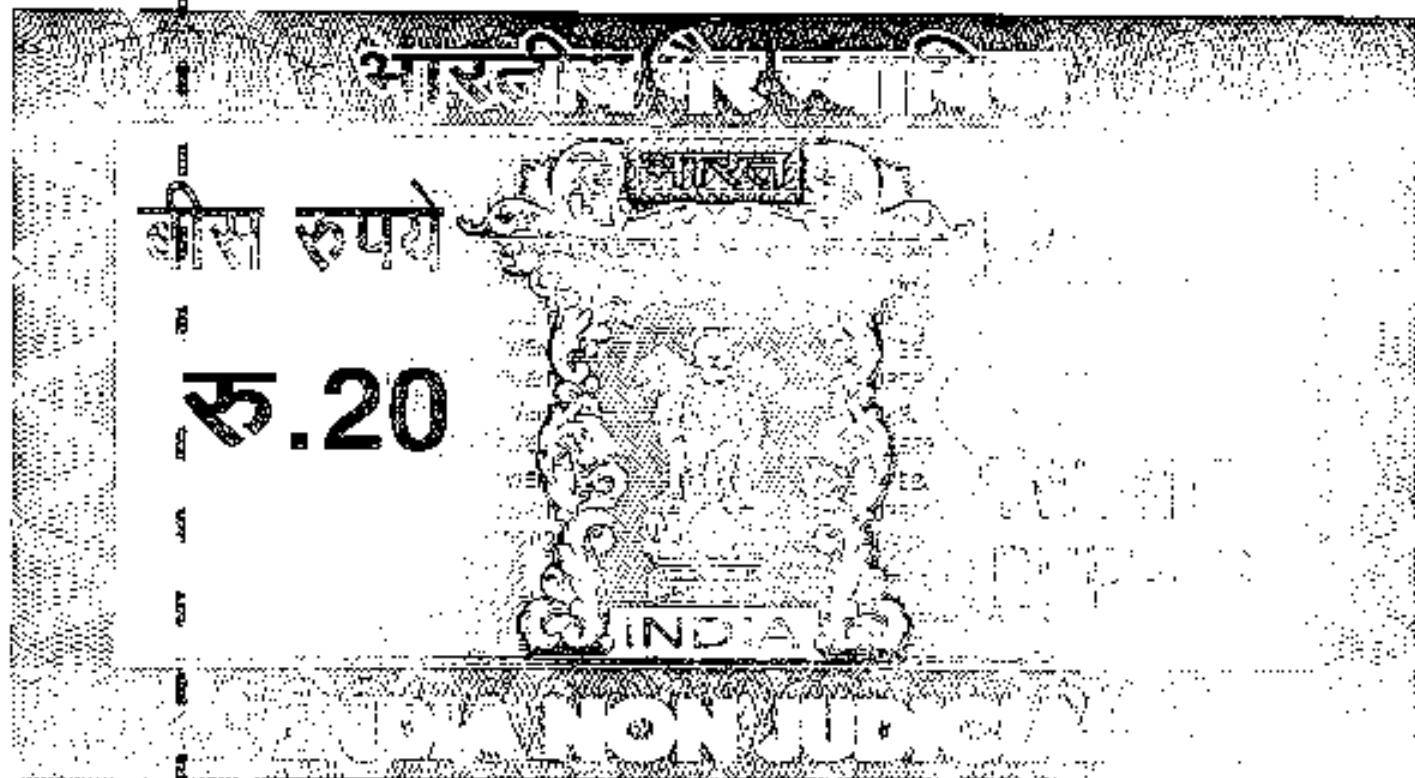
गवाह नं० 1 राजू नार डायरीसिंक
जयैदा बाजपुरा जौकु नार

गवाह नं० 2 राजू नार डायरीसिंक
जयैदा बाजपुरा जौकु नार



तहसीरी दिनांक: 24-12-2010 मसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 153007

Stamp duty paid in cash certificate in favour of-M/S UPPAL CHADDHA
HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW
FRIENDS COLONY , NEW DELHI

In pursuance of the order of the collector

N0...memo....dated.24.12.10 passed under

Section 10-A of the stamp act.It is certified that an

amount of Rs.4,04,500-00(Inwords Rs.Four lacs four thousand-
five hundred only)

has been paid in cash as stamp duty in respect

of this instrument in the State bank of India/

Treasury/Sub treasury ... NOIDA

By Challan No...N.17/505... dated..24.12.10

A copy of which is annexed herewith.

24/12

Dated 2010

[Signature]

Senior Treasury Officer

Gautam Budh Nagar

नं. 825 र. 525
 किया गया।
 23 DEC 2010
 रोड डिप्टी
 ★ कोषागार/गौतम बुद्ध नगर ★

MS Uppal Chadda Hitech Developers
 Pvt Ltd. Noida

24/12/10 का फोटो
 ति पुस्तक संख्या 307
 के फूट 37/ खण्ड संख्या 14447
 304 पर क्रम संख्या
 पर लिखा गया।

उपनिष्ठाक
 दल



तदुभयान्नः प्रादुरी

यदि आपने अभी भी सोच रहे हैं कि आपका व्यवसाय सफल हो सकेगा या नहीं, तो आपको अपने व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए।

—

0.7450
P.0163
Q 1200
1.6820

[illegible]

निर्यात : राबरी

भाग : 1

कसौती वर्ष : 1409-1414

ग्रीनबुद्धनगर

नरपद

काला
छातीनी क्षेत्र
संख्या

परिचय पत्रिका /
संख्या का भाग

प्रीतिपद स्थान

प्रीतिपद अधिकार
प्राप्त करने का
प्रमाण पत्र

कार्ड से प्रत्येक भाग
को अलग से प्रमाण

प्रत्येक भाग
(है)

छातीनी
संख्या देव
प्रमाणपत्र

प्रतिपद प्रमाणपत्र आता या अलग अलग
प्रमाणपत्र लाना प्रमाणपत्र लाना

प्रमाणपत्र
आता है
आने अधिकारी का पत्र

7-12

कुल भाग : 4
प्रमाणपत्र : 2,5670
132.45

Office

उत्तराखण्ड स्वतन्त्री

प्रमाणिका संख्या : 73020116093
 प्रमाणिका नाम : कल्याण चारुभाषा
 प्रमाणिका संख्या : 1409-1414

प्रमाणिका : स्वतन्त्र
 भाग : 1

नगरपालिका : चारुभाषा

प्रमाणिका	प्रमाणिका का नाम	प्रमाणिका का पता / पता संकेत का नाम	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता
प्रमाणिका	प्रमाणिका का नाम	प्रमाणिका का पता / पता संकेत का नाम	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता

प्रमाणिका	प्रमाणिका का नाम	प्रमाणिका का पता / पता संकेत का नाम	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता
प्रमाणिका	प्रमाणिका का नाम	प्रमाणिका का पता / पता संकेत का नाम	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता	प्रमाणिका का पता



सेवा में

शाखा प्रबन्धक

उपप्रान्त प्रशासकीय शाखा
दादरी

162

विशय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका
थाता संख्या 268, 106 खसरा नम्बर 619, 620 रकबा स्थित ग्राम कनोडा -
पारलाबा परगना दादरी व तहसील दादरी जिला म.प्र.
। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में रुपयल चन्ददा हाईटेक डेवेलपर्स प्रा० लि०
को बेंचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की
आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।
अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०)
प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

राजपाल डा० सत्यनन्द सम्भत

दि० २०/१२/२०



सेवा में

शाखा प्रबन्धक

पिन एन. बी.

दफ्तरी

152

विशय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका
प्लॉट संख्या २६८, १०६ खसरा नम्बर ६१७, ६२० रकबा _____ स्थित ग्राम बन्नेवा -
नारनाबाद परगना दादरी व तहसील दादरी जिला मेरठ
मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि में १० चप्पल चढ़ा हार्डटक डेवेलपर्स प्रा० लि०
को देवना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की
आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।
अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०)
प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

राजपाल डी. सहाय

पिन - २०१३

[Handwritten Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 442362

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक स्थान गाजियाबाद में श्री राजपाल
..... पुत्र/पति राजपाल
निवासी ग्राम..... परगना..... तहसील
व जिला

प्रथम पक्ष

एवं

मै० उषल चढडा हाईटैक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी
रोड न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा पुत्र.....

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम..... परगना व तहसील.....
जिला..... में स्थित भूमि खाता सं०..... खसरा सं०.....
..... कुल रकबा हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का
संक्रमणीय भूगिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम
दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिरसोदार नहीं
है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
कोई केस नहीं चल रहा है।

राजपाल

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्ज सरकारी व गैर सरकारी आदि से साफ व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं० 1 के पुस्तक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु०/- द्वारा चैक नं. दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लॉट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु द्वारा चैक सं० दिनांक बैंक से प्राप्त कर लिये है।
5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

21/5/15

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काग आवे।

राजपाल

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.